10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2
2 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–दतिया R 2712 – II/14

1. मोहनसिंह पुत्र श्री लालू बागला,
2. भागीरथ पुत्र श्री लालू बागला, निवासीगण ग्राम महेबा, तहसील बडौनी, जिला दतिया (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

घनश्याम पुत्र श्री सरमन यादव, निवासी ग्राम महेबा, तहसील बडौनी, जिला दतिया (म.प्र.) ...... अनावेदक

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत बडौनीखुर्द तहसील बडौनी जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम महेबा, तहसील बडौनी, जिला दतिया में स्थित भूमि सर्वे कमांक 270, 442, 445, किता 3 रकबा 1.02 में से विक्रित रकबा 0.32 आरे भूमि स्वामी अमर सिंह पुत्र रामनाथ यादव से आवेदकगण के पिता श्री लालू पुत्र श्री फैली बागला द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.06.2001 से क्रय की गयी थी। एवं भूमि खसरा क्रमांक 270, 442, 445 किता 3 रकबा 0.64 आरे के भूमि स्वामी धीरज सिंह, अमर सिंह पुत्र रामनाथ यादव थें। जिनके द्वारा धीरज के हिस्से में से 0.49 आरे तथा 0.15 आरे अमर सिंह ने अपने हिस्से में से बेची है इस प्रकार कुल 0.64 आरे बेची गयी है इसी प्रकार सर्वे नं. 442 में से दोनों ने 0.16 आरे बेची है। यह विक्रय पत्र दिनांक 01.07.2002 को सम्पादित किया गया था। (उपरोक्त विक्रय पत्रों की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत है।)

2. यहकि, आवेदकगण के हित में किये गये विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण का विधिवत् नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किया जाकर भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदान की गयी थी। जिनकी फोटो प्रतियॉ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

ण क्रमांक :–निगरानी–2712–दो / 2014 जिला–दतिया

मोहन सिंह व अन्य विरूद्ध घनश्याम यादव

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत बडौनीखुर्द, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 3 / अ–12 / 2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18–12–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 22–07–2019 को अनुविभागीय अधिंकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 31/5/19 सदस्य	